(116)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2260–एक/1998 विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 8–9–1998 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 112/1996–97/निगरानी

.....

पोखरलाल पिता कालूजी आंजना,
निवासी ग्राम पलसोड़ा, तहसील व जिला रतलाम

.....आवेदक

विरूद्ध

रामचन्द्र पिता शंकरलालजी ब्राह्मण
निवासी ग्राम पलसोड़ा, तहसील व जिला रतलाम

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0अवस्थी, अभिभाषक–आवेदक

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 24/1/17 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 131 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 25 रकबा 0.060 पर कृषि कार्य हेतु अनावेदक द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण रास्ता खोले जाने का निवेदन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण ~~कमांक 2~~/अ–13/1991–92 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई ।

कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें यह बताया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में रास्ते का उल्लेख नहीं है इसलिये प्रकरण संहिता की धारा 131 के अधीन विचार योग्य नहीं है । तहसील न्यायालय ने अनावेदक की आपत्ति अमान्य की गई, जिसके विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर तहसील न्यायालय का उक्त आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण व पंचनामा आदि के पश्चात् उभयपक्ष को सुनने के उपरांत दिनांक 29–12–1992 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन निरस्त करते हुये संहिता की धारा 131 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथमदृष्टया प्रचलन योग्य नहीं पाया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07–03–1994 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन और पंचानामा के आधार पर साक्ष्य आदि लेकर प्रकरण का निराकरण करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–9–1998 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–12–1992 यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादाग्रस्त रास्ता अनावेदक की भूमि पर से होकर निकलता है और इस प्रकार से उभयपक्ष के मध्य जिस रास्ते का विवाद है वह रास्ता ऐसा है जो वाजिबुल अर्ज अथवा अन्य प्रकार से रिकार्ड ऑफ राईट्स में दर्ज नहीं होने से इस प्रकार का विवाद तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलन योग्य होने के बावजूद भी आवेदन पत्र निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत

किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बात स्पष्ट होते हुये भी कि मूल आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक की ओर से न तो कोई अधिवक्ता नियुक्त था और न ही किसी अधिवक्ता द्वारा तैयार किया जाकर आवेदन पेश किया गया इसलिये आवेदन पत्र में कुछ त्रुटि होने से उसे संशोधित न कर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित शब्द कदीमी का जिस प्रकार का अर्थ निकाला और महत्व माना कि वह रास्ता बहुत ही पुराना चलन में था और उसे रूढिगत नहीं मानते हुये जो आदेश पारित किया गया है वह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 131 में कृषकों के कृषि भूमि पर आने जाने के मार्ग पर बाधा उत्पन्न करने के संबंध में है जिसे सही न समझकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर आवेदक की ओर से प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र स्वीकार कर तथा मूल आवेदन पत्र को उसके गुणदोषों पर साक्ष्य आदि प्राप्त कर तथा न्यायालय द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण आदि पर आदेश पारित किया जाना और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को स्थायी रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा स्पष्ट विवेचना करते हुये कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं है और आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में भी रास्ते का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने किया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में

अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–1998 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर